

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 6.11.18

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2018-19 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित संयुक्त विधि परामर्शी का चयन योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-4 (37400-67000) GP No.-22 (8700) L-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०स०	नाम अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1.	श्री समरथ मल साहू	01.04.2018
2.	श्री इन्द्र प्रकाश जैन	01.04.2018
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	01.04.2018
4.	श्री मुरलीधर भारद्वाज	01.04.2018

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

यह आदेश चुनाव विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8647 दिनांक 27.10.2018 व पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/9145 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


6/11/18
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


6/11/18
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 6.11.18

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2018-19 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

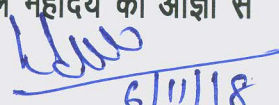
क्र. स.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	रिक्ति की तिथि
1.	श्याम सुन्दर व्यास	01.04.2018
2.	रमजान अली	01.04.2018
3.	अनिल गुप्ता	01.04.2018
4.	रामकिशन शर्मा	01.04.2018
5.	भगवत प्रसाद बोहरा	01.04.2018
6.	चिमन सिंह	01.04.2018
7.	मोहर सिंह (अजा)	01.04.2018
8.	दुर्गा प्रसाद (अजा)	01.04.2018
9.	रामगोपाल जाट	01.04.2018
10.	धर्मपाल	01.04.2018
11.	पवन कुमार तंवर	01.04.2018
12.	विजय कुमार जैन	01.04.2018
13.	धर्मेन्द्र दादवानी	01.04.2018
14.	सुरेश चन्द शर्मा	01.04.2018

क्र. स.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	रिक्ति की तिथि
15.	महेश कुमार गोयल	01.04.2018
16.	काशीराम	01.04.2018
17.	सत्यनारायण पालीवाल	01.04.2018
18.	कैलाश चन्द्र पोरवाल	01.04.2018
19.	महेश चन्द शर्मा	01.04.2018
20.	अमीरुल हसन गौरी	10.09.2018
21.	गिरधारी लाल जाखड़	10.09.2018
22.	नटवर लाल आचार्य	10.09.2018
23.	राजेश कुमार गोस्वामी	10.09.2018
24.	गजेन्द्र सिंह	10.09.2018
25.	सन्तोष कुमार पूनिया	10.09.2018
26.	मानसिंह चौहान	10.09.2018
27.	जितेन्द्र सिंह	10.09.2018

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

यह आदेश चुनाव विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)/निर्वा./2018/8647 दिनांक 27.10.2018 व पत्र क्रमांक प.3(1)(15)/निर्वा./2018/9145 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 6.11.18

:: आज्ञा ::

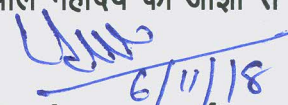
राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2018-19 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) L-20 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	मो0 अली खां	01.04.2018
2.	अब्दुल रहमान पंवार	01.04.2018
3.	विमला जैन	01.04.2018
4.	राजेन्द्र कुमार गोयल	01.04.2018

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

यह आदेश चुनाव विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8647 दिनांक 27.10.2018 व पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/9145 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


6/11/18
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


6/11/18
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक: 6.11.18

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी के वर्ष 2017-18 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई, इसमें श्री सतीश चन्द मेघवाल, सहायक विधि परामर्शी के पर्याप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर इनके लिए एक पद सुरक्षित रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण स्थगित (डैफर) किया गया था।

विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2017-18 के उक्त रिक्त पद के विरुद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई जिसमें समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री सतीश चन्द मेघवाल, सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर दिनांक 01.04.2017 को उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री सुभाष चन्द गुप्ता के नीचे रहेगी।

श्री सतीश चन्द मेघवाल का उप विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान **PB No.-3 (15600-39100)** **GP No.-19 (7200) L-18** में दिनांक 01.04.2017 की रिक्ति के विरुद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

यह आदेश चुनाव विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8647 दिनांक 27.10.2018 व पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/9145 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(6)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 6.11.18

:: आज्ञा ::

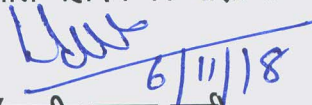
राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी की वर्ष 2018-19 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	अधिकारी (सर्वश्री)	का नाम	रिक्ति की तिथि	क्र.स.	अधिकारी (सर्वश्री)	का नाम	रिक्ति की तिथि
1.	हेमन्त कुमार वर्मा		01.04.2018	11.	सुरेन्द्र सिंह राठौड़		01.04.2018
2.	भारती ठकुरानी		01.04.2018	12.	रामशरण कुमार मोदी		01.04.2018
3.	रेणु बक्शी		01.04.2018	13.	सीताराम विजय		10.09.2018
4.	महेन्द्र कुमार बेगानी		01.04.2018	14.	आलोक कुमार आर्य		10.09.2018
5.	अशोक कुमार		01.04.2018	15.	महेश कुमार		10.09.2018
6.	आशु माहेश्वरी		01.04.2018	16.	महेश चन्द गौड़		10.09.2018
7.	गजेन्द्र कुमार आदित्य		01.04.2018	17.	मोहम्मद जाहिद रशीद		10.09.2018
8.	सुनील शर्मा		01.04.2018	18.	प्रदीप चौधरी		10.09.2018
9.	अरुण कुमार शर्मा		01.04.2018	19.	सीमा महेश्वरी		10.09.2018
10.	बनवारी लाल गुप्ता		01.04.2018				

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

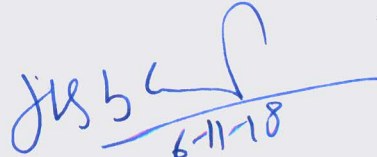
यह आदेश चुनाव विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8647 दिनांक 27.10.2018 व पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/9145 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


6/11/18
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


6-11-18
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव